

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।

केस संख्या :- 323/2023

जाकिर हुसेन बनाम विराट

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
	08.12.2023	<p>प्रार्थी की और से वकील श्री मदन लाल जाट में यह अतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 05.01.2024 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की आकरिमकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम चन्दलाई के खाता संख्या 367 के खसरा नंबर 1191, 1193, 1196, 1197, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1228, 1229, 1230, 1231, 1231/6291, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236 कुल कित्ता 20 कुल रकबा 1.50 है0 एवं खसरा नंबर 1208, 1209 वाके ग्राम चन्दलाई पटवार हल्का चन्दलाई तहसील चाकसू का मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं निर्माण न करें। स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी।</p> <p>पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 05.01.2024 को पेश हो।</p>

28/12/23

पत्रावली आज वकील वादी के विज्ञो पेश करने व दवे की पत्रावली के साथ तलब की गई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उपर। दावा विज्ञो होने व वकील प्रार्थी द्वारा डा. पह 212 RTI का विज्ञो हेतु रहे जाने पर डा. पह 212 RTI का विज्ञो (व्यारिज) किया पत्र है। डा. पह 212 RTI का विज्ञो हेतु ले न्यायालय हाजा का पूर्व (स्पष्ट) आदेश दिनांक 8/12/2023 का प्रभावहीन होगा। पत्रावली वाद तहसील तामील दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)